दिनांक 03.04.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा देवी एवं अभियुक्त मोहित पंत मय विद्वान अधिवक्ता श्री मनवर सिंह सजवाण न्यायालय में उपस्थित है।

2. पत्रावली आज बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 हेतु नियत है। अभियुक्त मोहित पंत के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन प्रपत्र संख्या 48क, अंकित किये गये। पत्रावलित हो। जिसमें अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

3. पत्रावली वास्ते अनुपालनार्थ अन्तर्गत धारा 437क, दण्ड प्रक्रिया संहित/बहस हेतु दिनांक 15.04.2023 को प्रस्तुत हो।

(जैनब)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।